UPMZ010133952025

न्यायालय SPECIAL JUDGE(SC. ST. ACT), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (SRI SITA RAM), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06368**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–6517 सन् 2025

1. मौ0 माज पुत्र मौ0 सत्तार
निवासी सी.–2ए 177 सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर जिला लखनऊ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–32 सन् 2025
धारा–318(4),336,338,340(2) बी.एन.एस.
व 66सी.,66डी. आई.टी. एक्ट
थाना–साईबर क्राईम,
जिला–मुजफ्फरनगर।

दिनांक–04.02.2026

आवेदक/अभियुक्त मौ0 माज पुत्र मौ0 सत्तार की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मुकदमा अपराध संख्या–32 सन् 2025 अन्तर्गत धारा–318(4), 336, 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–66सी., 66डी. आई. टी. एक्ट थाना साईबर क्राईम जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में निरूद्ध है, की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक मामले की वादी की तहरीर पर इस प्रकार है कि प्रार्थी सचिन कुमार नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मुझे इसी वर्ष मई माह मे फेसबुक पर ट्रेडिग इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर एक लिंक प्राप्त हुआ तथा वाह्टसएप नम्बर 7750011237 पर चैटिंग की गयी जिसने मुझे पैसा लगाकर अधिक मुनाफा कमाने की बात कही गयी तथा मुझे वाह्टसएप नम्बर 85291358026 पर ज्वाईन कराया गया तो मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनके द्वारा बताये गये बैंक खाते मे दिनाक 26.05.2025 को 1–IDFC FIRST बैंक के खाता संख्या 10229020387 में 50,000/–रूपये, 2. दिनाक 28.05.2025 को कैनरा बैंक के खाता संख्या 1200034447168 50,000/–रूपये, 3. दिनांक 29.05.2025 को बंधन बैंक के खाता सख्या 20100048063696 मे 50,000/– रूपये एवं अन्य 27 खातों से अब तक दिनांक–26.05. 2025 से 26.09.2025 तक कुल 30922000/–रूपये ट्रान्सफर कर किये गये थे, वाह्टसएप पर ही मुझे झांसा देकर ट्रेडिंग एप्प पर जिनका यूआरएल HTTPS://M.COINEX-VIP.COM/पर खाता खुलवाया जिसकी UID 45075514 भी बनवायी

Digitally signed by SITA RAM
Date: 2026.02.04 16:21:03 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court

थी। अब मैने अपना उक्त पैसा निकालने की कोशिश की तो मेरा उक्त पैसा नहीं निकल रहा है। अब मुझे गलता है कि मेरे साथ साईबर धोखाधड़ी हुई है।

जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि कि प्रार्थी/मुल्जिम का यह माननीय न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद या भारत के किसी न्यायालय में या भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही खारिज है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/मुल्जिम बेगुनाह है। उन्होने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रार्थी/मुल्जिम ने कोई साईबर फ्राड नही किया है। प्रार्थी/मुल्जिम को थाना हाजा की पुलिस द्वारा घर से उठाया गया था तथा उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना पब्लिक पेलेस की दशाई गई है और जनता का कोई गवाह नहीं है। जिस कारण कथित घटना स्वयं ही संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी/मुल्जिम पर मुकदमा उपरोक्त झूठा व फर्जी प्लांट किया गया है। प्रार्थी/ मुल्जिम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। दौरान विवेचना अभियुक्त बनाया गया हैं। प्रार्थी/मुल्जिम किसी बैंक या उसकी किसी संस्था में कर्मचारी नहीं है। प्रार्थी/मुल्जिम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/मुल्जिम उक्त अपराध में किसी भी तरह से बेनिफिशियरी नही है। प्रार्थी/मुल्जिम के सम्बंध में उसके विरूद्ध फ्राड का कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थी/मुल्जिम के खाते से कोई भी लेन देन नही हुआ है न ही कोई रूपया बरामद हुआ है। प्रार्थी/मुल्जिम दिनांक 14.12.2025 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध हैं। प्रार्थी/मुल्जिम पूर्व सजायाफ्ता नही है।

जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा करते हुये कहा है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा से कुल 3,09,22,000/—रूपये धोखाधडी व छल से प्राप्त किया है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उससे आनलाईन धोखाधडी की गयी है जिसमें फेसबुक पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक लिंक प्राप्त हुआ। वाह्टसएप पर चैंटिग की गयी जिसमें पैसा लगाकर अधिक मुनाफा कमाने की बात की गयी। जिसमें वादी के खाते से कुल 3,09,22,000/—रूपये (तीन करोड़ नौ लाख, बाईस हजार रूपये) अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर छल से प्राप्त किया जाना कहा गया है। इस मामले की प्राथमिकी साईबर क्राईम थाना मुजफ्फरनगर में पंजीकृत हुई तथा अभियुक्त/आवेदक की अपराध मे भूमिका प्रकट हुई है। अपराध की प्रकृति एक संगठित अपराध की प्रकट होती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मौ0 माज पुत्र मौ0 सत्तार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(सीताराम)
विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम मुजफ्फरनगर।